संख्या-501/2022/1270रासनि/23-1-2022/004-22आरएसएन/2022

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 24 दिसम्बर, 2022**

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से वाराणसी मण्डल के विभिन्न जनपदों के 14 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-2202/CE-HQ-1/RSN 3054/VNS/2022-23, दिनांक 22.11.2022, पत्र संख्या-2272/CE-HQ-1/RSN 3054/VNS/2022-23, दिनांक 25.11.2022 एवं पत्र संख्या-2310/CE-HQ-1/RSN 3054/VNS/2022-23, दिनांक 28.11.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार वाराणसी मण्डल के **विभिन्न जनपदों के 14 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 3,96,43,000/- (रूपये तीन करोड़ छियानबे लाख तैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रा.ख. गाजीपुर	गाजीपुर आजमगढ़ मार्ग	63 /2020/681 रासनि/23-1-20-51 रासनि/20	218.90	179.80	15.50	23.60	23.60
2	प्रा.ख. गाजीपुर	रौजा शहाबुददीन संपर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण का कार्य। किमी-1(500)	78/2021/457 रासनि/23-1-21-50 रासनि/20	44.99	33.74	0.02	11.23	11.23
3	प्रा.ख. गाजीपुर	गाजीपुर आजमगढ़ मार्ग	93/2021/561 रासनि/23-1-21-51 रासनि/20	65.53	39.02	8.8	17.71	17.71
4	प्रा.ख. गाजीपुर	बुढानपुर हथियाराम सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण का कार्य।	160/2021/534 रासनि/23-1-21-104 रासनि/20 टीसी 2	161.03	80.52	24.87	55.64	35.00
5	प्रा.ख. गाजीपुर	कटयां संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2	54.3	40.43	0.04	13.83	13.83
6	प्रा.ख. गाजीपुर	घाट स्टेशन से रसूलपुर कन्धवारा मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	39/2021/1936 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0 2	70.32	64.65	0.05	5.62	5.62
7	नि.ख.-1 वाराणसी	सेन्ट जान्स कालोनी के अवशेष भाग में सी0सी0 के विशेष मरम्मत का कार्य।	240/2021/935 रासनि/23-1-21-39 रासनि/20	50.73	5.07	10.66	35.00	31.00
8	नि.ख.-1 वाराणसी	कुरू से कुआर वाया अनेई मार्ग के किमी0-2,3,4,5,6,7(600) में विशेष मरम्मत का कार्य	314/2021/1277 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2	63.51	16.86	18.01	28.64	28.64
9	प्रा.ख.	कैण्ट लंका मार्ग पर किलोमीटर	351/2021/1551	77.97	25.29	0.19	52.49	48.40

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / मूल लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	बचत	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	वाराणसी	6, 4 के सतह सुधार का कार्य।	रासनि/23-1-21-39 रासनि/20					
10	प्रा.ख. गाजीपुर	कान्वेंट स्कूल के सामने तड़बनवां मलिन बस्ती होते हुए बुजुर्गा मार्ग तक संपर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण का कार्य। किमी-1,2(330)	78/2021/457 रासनि/23-1-21-50 रासनि/20	119.16	26.81	0.06	92.29	60.00
11	प्रा.ख. गाजीपुर	बरही बोगना बददोपुर मार्ग के किमी 8 से 10.63 का विशेष मरम्मत का कार्य।	114/2021/603 रासनि/23-1-21-94 रासनि/20	40.30	32.02	0.01	8.27	8.27
12	प्रा.ख. चंदौली	सैयदराजा जमानिया मार्ग पर कन्दवा से पिपरदहा गांव तक मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	46/2020/554 रासनि/23-1-20-40 रासनि/20	88.52	79.08	0.31	9.13	9.13
13	प्रा.ख. चंदौली	मोहनसराय दीनदयाल उपाध्याय नगर चकिया मार्ग	93/2021/561 रासनि/23-1-21-51 रासनि/20	460.18	429.20	5.43	25.55	25.55
14	प्रा.ख. चंदौली	नई बाजार से अहिकौरा रमरजाई संपर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	358/2021/1186 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 टी0सी0-2	91.97	9.20	0.19	82.58	78.45
							कुल योग-	**396.43**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2023 तक कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक उपलब्ध करा दिया जाय । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस कार्य के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए सम्बन्धित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रायोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाय ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके । यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिर्वतन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्यो की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 3,96,43,000/- (रूपये तीन करोड़ छियानबे लाख तैंतालीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या-501**/2022/1270रासनि(1)/23-1-2**2/004-**22**RSN-2022**, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3-जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4-मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5-मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6-संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7-वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8-वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9-वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10-लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11-.नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।